NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 127/NCRES/20

Date : 17.6.2020

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद प्रयागराज मंडल द्वारा में नर्सिंग संवर्ग को 3rd MACP के GP-6600 का लाभ न दिया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड से जारी RBE No. 87/2018 के स्पष्ट आदेश पर आगरा मंडल एवं झांसी मंडल द्वारा योग्य (Eligible) नर्सिंग स्टाफ को GP-6600 का लाभ दे दिया गया लेकिन प्रयागराज मंडल द्वारा नर्सिंग कैडर में कार्यरत योग्य स्टाफ को GP-6600 का लाभ नही दिया गया। NCRES नवम्बर 2019 से लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन प्रयागराज मंडल के नर्सिंग कैडर को GP-6600 का लाभ नही मिल पाया जिसके कारण दिनांक 25.2.2020 को PNM बैठक के प्रारम्भिक भाषण में आपके संज्ञान में लाया गया कि प्रयागराज मण्डल के नर्सिंग कैडर को GP-6600 का लाभ नही दिया जा रहा है फिर भी प्रयागराज के नर्सिंग कैडर को GP-6600 का लाभ नही मिला।

इस सम्बन्ध में प्रयागराज मंडल द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण, NCR HQ द्वारा दिये गये जवाब एवं NCRES के मत से आपको अवगत करा रहा हूं ताकि इसपर जल्द निर्णय हो सके।

क्रम.	प्रयागराज मंडल द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण	NCR HQ द्वारा दिया गया जवाब	NCRES का मत
1	रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 10.06. 2009 के तहत नर्सिंग कोटि के कर्मचारियों को 3rd MACP GP-6600 दिया जाना था परन्तु फिर रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 05.03.2013 के तहत अवगत कराया की 3rd MACP GP-5400 (PB-3) दिया जाना है। इसके पश्चात पुनः रेलवे बोर्ड का आदेश RBE 87/2018 दिनांक	RBE 87/2018 दिनांक 14.6.2018 के तहत कार्यवाही करें।	"संघ" का मत है कि रेलवे बोर्ड के पूर्व के पत्रों के आधार पर रेलवे बोर्ड के पत्र सं. RBE 87/2018 को न मानना रेलवे बोर्ड के आदेश की अवज्ञा करना है। बोर्ड के पत्र RBE 87/2018 दिनांक 14.6. 2018 में स्पष्ट है कि NFIR की मांग पर Ministry of Health and family welfare के OM दिनांक

<table>
<tr><td></td><td>14.06.2018 आया जिसमें नर्सिंग कैडर को 3rd MACP के रूप GP-6600 दिया जाना है। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 14.06. 2018 में रेलवे बोर्ड के ही पत्र दिनांक 05.03.2013 का विरोधाभास है। साथ ही उक्त पत्र पूर्व में जारी पत्र के Suppression में नही है। कृपया स्पष्ट करें।</td><td></td><td>9.9.16 के आधार एवं DOPT की राय पर केवल उन नर्सिंग स्टाफ को 3rd MACP के रूप में GP-6600 दिया जाना है जिन्होने 6th CPC लागू होने के पूर्व अर्थात 31. 08.2008 के पूर्व जारी ACP स्कीम के तहत 5500–9000 एवं 6500–10500 का ग्रेड पा लिया हो। अतः MoH&FW/DOPT की राय के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE 87/2018 दिनांक 14.6.2018 को रेलवे बोर्ड के पूर्व के पत्र दिनांक 5.3.2013 के Suppression में ही माना जाना चाहिये।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अगर नर्सिंग स्टाफ को GP-6600 दिया गया तो क्या अन्य विभागों में GP-4600 में सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों को भी 3rd MACP के तहत GP-6600 दिया जाना है।</td><td>RBE No. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 का अनुपालन करें।</td><td>रेलवे बोर्ड ने अपने पूर्व के सभी पत्रों में बार–बार स्पष्ट किया है कि अन्य विभागों में सीधी भर्ती से GP-4600 पर आये कर्मचारियों को 3rd MACP के रूप में GP-5400 (PB-3) दिया जायेगा। यहां तक कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र 87/2018 दिनांक 14.6.2018 के पैरा (c) में स्पष्ट किया है कि पैरा (a) में सन्दर्भित नर्सिंग स्टाफ के अतिरिक्त अन्य नर्सिंग स्टाफ को भी GP-6600 नही दिया जाना है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या रेलवे बोर्ड का पत्र RBE No. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 अपने ही पत्र दिनांक 05.03.2013 एवं 21. 08.2014 को Supersede करता है ?</td><td>RBE No. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 का अनुपालन करें।</td><td>निश्चित रूप से Supersede करता है। रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 14.6.2018 के पैरा 'a' के अनुसार दिनांक 31.8.2008 के पूर्व 6500–10500 का ग्रेड पा चुके नर्सिंग कैडर के 6th CPC में Replacement ग्रेड निम्न होगें।
<table>
<tr><td>5th CPC ग्रेड</td><td>6th CPC Replacement ग्रेड</td><td>ACP /MACP</td></tr>
<tr><td>5500-9000</td><td>GP-4800 /PB-2</td><td>Ist</td></tr>
<tr><td>6500-10500</td><td>GP-5400 /PB-3</td><td>IInd</td></tr>
<tr><td>-</td><td>GP-6600 /PB-3</td><td>IIIrd</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>4</td><td>रेलवे बोर्ड के पत्र RBE No. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 में कहा गया है कि 3rd MACP GP-6600 लेवल उन्ही नर्सिंग स्टाफ को दिया जाना है जिनको 1st एवं 2nd ACP 31.08.2008 तक दिया जा चुका है परन्तु इन 8 चीफ मैट्रन को ACP नही दी गयी है बल्कि प्रमोशन में GP-5400 मिला है।</td><td>RBE No. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 के अनुसार कार्यवाही करे।</td><td>MACP एवं ACP देने हेतु जारी रेलवे बोर्ड की सभी गाइड लाइन के अनुसार यदि प्रमोशन का लाभ पूर्व में दे दिया गया हो तो ACP/MACP का लाभ नही दिया जाता एवं यदि ACP/MACP का लाभ पहले मिल जाता है तो बाद में रेगुलर प्रमोशन होने पर इन्क्रीमेंट नही दिया जाता। इस प्रकार प्रमोशन अथवा ACP/MACP को समतुल्य माना जाता है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>RBE 87/2018 दिनांक 14.06.2018 का पैरा 1 (b) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 05.03.2013 एवं 21.08.2014 के पैरा 1(a) विरोधाभास में है।</td><td>RBE No. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 का अनुपालन करें।</td><td>प्रयागराज मंडल द्वारा टेक्निकल कैडर एवं नर्सिंग कैडर को एक साथ देखा जा रहा है जबकि नर्सिंग कैडर का प्रमोशन चैनल भिन्न है जो कि RBE 86/2018 दिनांक 13.6.2018 के अनुसार आगे से निम्न होगा।
<table>
<tr><td>स्टाफ नर्स</td><td>Level 7</td><td>GP-4600 /PB-2</td></tr>
<tr><td>नर्सिंग सिस्टर</td><td>Level 8</td><td>GP-4800 /PB-2</td></tr>
<tr><td>चीफ मैट्रन</td><td>Level 9</td><td>GP-5400 /PB-3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>RBE 87/2018 दिनांक 14.06.2018 का पैरा 1(c) लागू होता है परन्तु यह जनरल आदेश है। अतः NCR हेडक्वाटर स्पष्ट आदेश करे।</td><td>RBE No. 87/2018 दिनांक 14.06.2018 का अनुपालन करें।</td><td>वर्तमान की पैरा 1(c) केवल उन नर्सिंग कैडर पर लागू होता है जो पैरा (a) एवं (b) के अन्तर्गत नही आते है।</td></tr>
</table>

यह भी अवगत कराना है कि आगरा और झांसी मण्डल के नर्स/मैट्रन/चीफ मैट्रन को GP-6600 का लाभ दे दिये जाने और प्रयागराज मण्डल के नर्सिंग कैडर में नर्स/मैट्रन/चीफ मैट्रन को GP-6600 का लाभ न दिये जाने से प्रयागराज मण्डल के नर्सिंग कैडर में बहुत असंतोष है।

अतः अनुरोध है कि आप कृपया प्रयागराज मण्डल के नर्सिंग कैडर में योग्य (Eligible) स्टाफ को GP-6600 देने के लिये उचित आदेश करने का कष्ट करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री